राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
आदेशिका

दिनांक 16.05.2018 **परिवाद संख्या 2017/12/2174**

समक्ष : एकलपीठ
माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

पत्रावली आज आदेशार्थ मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई।

परिवादी से प्राप्त परिवाद दिनांक 01 जून, 2017, जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त, 2017 व तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से प्राप्त प्रतिक्रिया दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 के अवलोकन से अत्यन्त खेदजनक स्थिति प्रकट होती है।

परिवादी एक 71 वर्षीय व्यक्ति है। परिवादी के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। परिवादी की पत्नी की उम्र 70 वर्ष है। परिवादी के अनुसार उसके दोनों पैर खराब हैं, वह बीमार भी रहता है। परिवादी ने अपनी कमाई से एक मकान व दो दुकानें बना रखी हैं। परिवादी का छोटा पुत्र श्री राकेश ने परिवादी को 05 वर्ष से परेशान कर रखा है, वह न सिर्फ गालियां देता है, बल्कि मारपीट भी करता है और परिवादी से धन की मांग भी करता रहता है। परिवादी का कथन है कि उन्होंने अपने पुत्र के विरूद्ध कई जगह शिकायतें की है। कई बार पुलिस थानों में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। अन्य विस्तृत तथ्यों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अनुसार परिवादी के छोटे पुत्र श्री राकेश का परिवादी व परिवादी के बडे पुत्र श्री मुकेश

से सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर आये दिन झगडा होता रहता है। परिवादी के पुत्र श्री राकेश के विरूद्ध धारा 107–116 (3) जाप्ता फौजदारी में इस्तगासा न्यायालय एस.डी.एम., लालसोट में पेश किया गया। पूर्व में भी परिवादी के दोनों पुत्रों श्री राकेश व मुकेश को दिनांक 17 फरवरी, 2017 को धारा 151 जाप्ता फौजदारी में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पाबन्द कराया जा चुका है।

प्रथम दृष्ट्या यह एक पारीवारिक एवं व्यक्तिगत विवाद का विषय प्रकट होता है। प्रथम दृष्ट्या लोकसेवक, स्थानीय पुलिस द्वारा दो बार विधि अनुसार कार्यवाही भी की जा चुकी है। परन्तु हर व्यक्ति चाहे वह वृद्ध हों अथवा नहीं, उसकी न सिर्फ जिन्दगी, बल्कि इज्जतदार जीवन जीने हेतु संविधान के अनुच्छेद संख्या 21 में सुरक्षा (Guaranty) भी हुई है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इज्जत से जीने के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है तब यह राज्य दायित्व बन जाता है। ऐसे प्रकरणों को निजी विवाद के प्रकरण अथवा सम्पत्ति के विवाद बताकर राज्य दायित्व से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। साधारणतया राज्य, प्रशासन व पुलिस निजी व सम्पत्ति के विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि विधि के स्पष्ट प्रावधान के अन्तर्गत हस्तक्षेप करने हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं हो। राज्य में वर्तमान समय में कोई माता–पिता, वृद्धजनों व असहाय लोगों के साथ न सिर्फ अमानवीय घटनाएं घटित हुई हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा विडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया, जिसके आधार पर पूरे देश में टी.वी. समाचारों में ऐसे विडियोज् का प्रदर्शन किया गया। लगातार आयोग को वृद्धजन व लाचार माता–पिताओं को उनके बच्चों अथवा परिवार की महिलाओं इत्यादि से

दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों में कई बार वृद्ध परिवादीगण पुलिस में भी शिकायत नहीं करना चाहते हैं, परन्तु आयोग के नाम **"मानव अधिकार आयोग"** से भ्रमित हो जाते हैं कि राज्य का मानव अधिकार आयोग हर पारीवारिक विवाद, जिनमें सम्पत्ति का विवाद व उससे उत्पन्न दुर्व्यवहार, मारपीट व गुजारा भत्ते आदि के प्रकरणों में कार्यवाही कर सकता है और इसी भरोसे में आयोग में प्रार्थना-पत्र लेकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। परन्तु जब निजी विवाद तथा लोकसेवक के विरूद्ध आरोप नहीं होने के कारण से जब प्रकरण समाप्त होते हैं तब ऐसे पीडित व्यक्तियों की वेदना और अधिक बढ जाती है। ऐसे पीडित व्यक्ति वृद्ध, असुरक्षित और असहाय, जिनमें महिलाएं अपने आप को और भी अधिक असुरक्षित पाती हैं।

यह भी सत्य है कि पारीवारिक व सम्पत्ति के हर एक विवाद में, छोटी-मोटी कहासुनी व छिट-पुट मारपीट, जिनमें असंज्ञेय अपराधमात्र कारित होते हैं, उनमें राज्य, प्रशासन व पुलिस हर समय न तो उपस्थित रह सकती है और न ही हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसी स्थिति में पीडित पक्ष बार-बार पीडित रहने पर निराश व कुण्ठाग्रस्त होता जाता है। इन सबका कारण, हर ऐसे व्यक्ति का सिर्फ पुलिस, प्रशासन व राज्य की ओर देखना एक महत्वपूर्ण कारण है। लगातार प्रचार-प्रसार से हर व्यक्ति को यही विश्वास हो गया कि आपसी सम्बन्ध, व्यवहार व मानवता भी कानून की बन्धक या कानून से रक्षित है और इसी कारण से इसका उपचार मात्र पुलिस, प्रशासन व सरकार ही है। सामाजिक बन्धन व मानव मूल्यों की इन समस्याओं पर सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा किसी को अनुतोष देने का माहौल बनाना तो दूर, सोचना भी छोडा जा चुका है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कारणों से असहाय, विकलांग, महिलाओं व बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार जब तक बहुत अधिक सीमाएं नहीं लांघ लेते हैं, तब तक साधारण घटनाओं को समाज व सर्वजन द्वारा आम घटना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कानून, पुलिस व प्रशासन पर इतनी अधिक निर्भरता हो गई है कि जब 82 वर्षीय मां, जो पक्षाघात से पीडित है, को घर के बाहर पीटा जाता है और उसी मां के दूसरे पुत्र का पुत्र विडियो बनाता है। इस घटना के प्रति उक्त वृद्ध मां (82 वर्ष) के तीन पुत्र व दो शादीशुदा पुत्रियों के परिवार के कर्तव्यों के बारे में व जिम्मदारियों के सम्बन्ध में विचार करने के स्थान पर हर तरफ से इस प्रकार के पारीवारिक व्यवहार के लिए सर्वजन द्वारा यही सवाल किये जाते हैं कि पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था और कानून कहां था? मानों हर घर में हर समय पारीवारिक विवाद होने पर तत्काल पुलिस, कानून व प्रशासन मौके पर मिलना चाहिए और 82 वर्षीय वृद्धा के तीन पुत्र व दो पुत्रियों के परिवार जिनमें वृद्धा की तीसरी पीढी भी शामिल है, का विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार का प्रकरण आयोग के समक्ष आने पर आयोग द्वारा प्रकरण संख्या 2018/02/506 स्व-प्रेरणा से दर्ज किया गया।

उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 82 वर्षीय बीमार व लाचार महिला को पीटने वाला इस वृद्ध महिला का पुत्र राजकीय विद्यालय में शिक्षक और एक पुत्र थलसेना से सेवानिवृत है और तीसरा पुत्र राजस्थान पुलिस में सेवारत है। इस महिला की दो पुत्रियां शादीशुदा हैं और अपने ससुराल में रहती हैं। परिवार के सदस्य विभिन्न कारणों से अलग-अलग स्थान पर भी रह सकते हैं, परन्तु अपनी बीमार व लाचार

दादी की अपने ही चाचा द्वारा घर के बाहर पिटाई करने का विडियो बनाने में तो वृद्धा के पोते की रूचि हो सकती है। लेकिन पोते की अपनी दादी को बचाने में और अपने चाचा को उक्त घृणित कृत्य से रोकने में रूचि अब तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार नहीं पाई गई। जिस पोते द्वारा विडियो बनाया गया, उक्त वृद्धा की दिनांक 18 जनवरी, 2018 को हुई मृत्यु के पश्चात, मात्र 08 दिन में दिनांक 26 जनवरी, 2018 को सोशल मीडिया पर विडियो प्रसारित किया जाना बताया जा रहा है। जबकि घटना जनवरी, 2018 से लगभग 06 माह पूर्व की होना बताया जा रहा है। क्या यह भी विश्वास किया जाये कि उस व्यक्ति द्वारा अपनी वृद्ध बीमार व लाचार दादी की उक्त वृद्धा के पुत्र द्वारा पिटाई का विडियो लगभग 04-06 माह में किसी को नहीं दिखाया गया? स्वाभाविक है आज घर परिवार और रिश्ते भी अपनी सुरक्षा और इज्जत सिर्फ कानून में ढूंढ रहे हैं, सिर्फ पुलिस और प्रशासन से सुरक्षित रखवाना चाहते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले ही अब रिश्ते, सम्मान, परिवार तथा व्यवहार की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं और परिवार, मोहल्ला या समाज कोई दोषी भी नहीं होगा। इससे अधिक मानव अधिकारों का हनन और क्या हो सकता है जब मानव के पारीवारिक रिश्ते भी कानून, पुलिस और प्रशासन के गुलाम बनना चाहते हैं।

उपर्युक्त प्रकरण संख्या 2018/02/506 के तथ्यों का विस्तार से विवरण ऊपर दिया गया है। मात्र एक प्रकरण नहीं है जो आयोग के समक्ष आया है, और न यह सही है कि आयोग एक या दो प्रकरणों के तथ्यों से विचलित हो रहा है। आयोग के समक्ष वृद्ध दादा-दादी और माता-पिता ही नहीं, बल्कि

अन्य रिश्तों के विवाद भी आते हैं जिन्हें आयोग निजी विवाद होने के कारण से उनमें कार्यवाही नहीं कर सकता है। परन्तु लगातार आयोग को प्राप्त होने वाले समान प्रकृति के प्रकरणों में वृद्ध, असहाय, लाचार, बीमार और महिलाओं के प्रति परिवार के सदस्यों के अत्याचारों का आरोप हैं। अतः जब घर, परिवार व समाज द्वारा ठुकरा दिया जाता है तब कानून के सीमित दायरे में राज्य कर्तव्य के अन्तर्गत किस प्रकार से मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, विचार करना आवश्यक है। अतः इस प्रकरण में यह आदेश पारित किया गया।

यह भी सत्य है कि किसी कानून से किसी व्यक्ति को सद्व्यवहारी न तो बनाया जा सकता है। न इस कार्य के लिए विधि में प्रावधान है और न ही इस हेतु विधि में प्रावधान होना सम्भव लगता है। ऐसे विषय पर यही कहा जा सकता है कि **"घोडे को पानी तक ले जाया जा सकता है, परन्तु उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"** वैसे ही सद्व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, सद्व्यवहार की पालना दूसरों द्वारा नहीं करवाई जा सकती है। ऐसी समस्या का उपचार स्वयं माता-पिता और घर परिवार को ही ढूंढना होगा। आयोग के लिए मानव का व मानव अधिकार हनन के स्पष्ट प्रकरणों, चाहे इनमें मानव अधिकार आयोग, विधि द्वारा दिये गये अधिकारों के हनन का उपचार प्रदान नहीं कर सकता हो, परन्तु फिर भी इन्हें रोजमर्रा के वृद्ध माता-पिता, दादा-दादी, लाचार व असहाय व्यक्ति तथा बच्चों के उत्पीडन पर अपनी वेदना प्रकरट करने का आयोग कर्तव्य समझता है और उम्मीद करता है कि जहां किसी भी वृद्ध, लाचार और असहाय व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति (चाहे पीडा पहुंचाने वाला व्यक्ति स्वयं पीडित पक्ष का परिजन, पुत्र-पौत्र या

भाई हो) द्वारा पीडा पहुंचाने पर इस सम्बन्ध में संवेदनशील पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों में, बिना शक्तियों का दुरूपयोग किये उचित कार्यवाही धारा 107, 116, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कर सकते हैं।

यहां विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रकरणों में धारा 107–116 दं.प्र.सं. व विशेष रूप से धारा 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का दुरूपयोग अथवा सदुपयोग किया जाना सिर्फ विवेक तथा सद्भावी व्यक्तियों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। धारा 107, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधिकारों के दुरूपयोग के प्रकरण भी आयोग में विचाराधीन हैं। अतः स्थानीय पुलिस तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए ऐसा समय परीक्षा की घडी होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में दिये गये जीवन के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरण होने तथा आपसी नाजुक रिश्तों व सम्पत्ति के लोभ इत्यादि से सम्बन्धित प्रकरण में संवैधानिक अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवन (Dignified Life) के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य दायित्व (State Duty) को प्राथमिकता व सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने से संविधान की मूल भावना की पालना हो सकेगी।

धारा 107, 116, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान किसी व्यक्ति को अपराध कारित करने से रोकने के लिए बनाये गये हैं। वास्तविक उपयोगी इन प्रावधानों का पुलिस व प्रशासन तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संवेदनशीलता से उपयोग कर प्रशासन व पुलिस न

सिर्फ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की मूल भावना, बल्कि संविधान के अनुच्छेद-21 की भावना को मूर्त रूप दे सकेंगे।

ऐसे विवादों में कम से कम उन व्यक्तियों के प्रकरणों में सहायता प्रदान की जा सकती है जो किन्हीं कारणों से संसाधनों से वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से लाचार, मंहगी न्यायिक प्रक्रिया में स्वयं न्यायालय से सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन पर वास्तविक खतरा हो, उन प्रकरणों में विस्तार से तथ्य अंकित कर पुलिसकर्मी स्वयं की व आवश्यकता होने पर उच्च अधिकारी से संतुष्टि दर्ज करवाकर ऐसी प्रभावी कार्यवाही कर सकता है जिससे अन्य पक्ष मात्र घटनाओं की पुनरावृत्ति करने से रोके जा सकें। ऐसे प्रकरण प्रथम दृष्ट्या काफी तुच्छ प्रकृति के (Trivial) प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु ऐसी तुच्छ (Trivial) घटनाएं किसी मानव के लिए अत्यन्त पीडाजनक हो सकती हैं और जब पीडा पहुंचाने वाला व्यक्ति स्वयं अपना हो, उम्र का फर्क हो, पीडित वयोवृद्ध हो तथा घटनाएं बार-बार घटित हो तो ऐसी सूरत में प्रकरण को तुच्छ प्रकृति (Trivial) नहीं माना जा सकता है।

यहां यह उल्लख करना आवश्यक है कि, यद्यपि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार मानव अधिकारों में प्राण, स्वतन्त्रता व समानता ही शामिल नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार भी शामिल हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं या अतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो, शामिल किये गये हैं।

*"**Human Rights"** Means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution of embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.*

इस सन्दर्भ में वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस श्री दलवीर भण्डारी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में Siddharam Satlingappa Mhetre vs. state of Maharashtra के प्रकरण में 02 दिसम्बर, 2010 को लिये गये निर्णय में यह घोषित किया कि –

"***All human being are born with some unalienable rights like life, liberty and pursuit of <u>happiness</u>***"

अन्य प्रावधानों में life, liberty, equality और dignity का उल्लेख है, परन्तु Siddharam case में <u>happiness</u> का भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि, liberty होने में happiness होना आवश्यक नहीं है, life होने में happiness होना आवश्यक नहीं है तथा equality तथा dignity होने में happiness होना आवश्यक नहीं है। परन्तु happiness के बिना life, liberty, equality और dignity का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। अर्थात् <u>happiness में life,</u>

liberty, equality और मानव की गरिमा सभी का समावेश है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Siddharam case में happiness को भी त्याग नहीं किये जाने वाला अधिकार होना माना है। अतः इस बाध्यकारी निर्णय के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को खुशियों (happiness) अर्थात सुखी व खुशियों सहित जीवन जीने का अधिकार सुरक्षित किया गया है और ऐसे अधिकार का त्याग भी नहीं किया जा सकता है। इन मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 107, 116, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उचित उपयोग राज्य कर्तव्य के रूप में संविधान के अनुच्छेद-21 व माननीय उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों की मूल भावनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

ऐसी घटनाएं जो पारीवारिक सदस्यों के दरम्यान घटित होती हैं, उनसे सम्बन्धित दोनों पक्षों की गरिमा की रक्षा करना भी आवश्यक है। अतः विधि के उपर्युक्त प्रावधानों का स्पष्ट रूप से परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार की रक्षा करने के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए धारा 107, 116, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 का निम्नांकित शीर्षक रखा गया है :-

"***अध्याय 8 : परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति*** "

इस शीर्षक से भी स्पष्ट है कि परिशान्ति रखने व सदाचार रखने के लिए इन प्रावधानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अतः राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नांकित अनुशंषा करता है :-

1. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से लाचार, उम्र से वयोवृद्ध और असहाय व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, उन व्यक्तियों पर अगर परिवार के सदस्य अथवा पडौसी या अन्य द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जावे जिससे व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा के साथ व्यक्ति की खुशियों (happiness) के किसी अधिकार का हनन किया जावे और ऐसे प्रकरण जो संज्ञेय अपराध नहीं हों, उन प्रकरणों में विस्तृत कारण लिखकर अधिकार हनन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश जारी किये जावें ताकि व्यक्ति के प्राण, स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा व खुशियों की रक्षा की जा सके। ऐसे प्रकरणों को चिह्नित कर ऐसे प्रकरण की समीक्षा पुलिस के उच्च अधिकारी करें और ऐसे प्रकरणों को उन प्रकरणाों से अलग रखें जिनमें अन्य कारणों से व अन्य व्यक्तियों के दरम्यान विवाद व झगडे होते हैं और जिनके सम्बन्ध में सामान्य रूप से धारा 107, 116, 116 (3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत हमेशा कार्यवाही की जाती है।

2. ऊपर वर्णित विशेष प्रकार के प्रकरणों में दिशा-निर्देश जारी किये जावें कि ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक रूप से सख्त शक्ति बरते बगैर किस प्रकार से शान्ति व सदाचार की पुनर्स्थापना की जावे।

3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को ऐसे प्रकरणों के लिए जागरूक कर संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर जानकारी लगातार प्रदान की जावे।

4. ऐसे प्रकरणों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय अधिकारियों को किस प्रकार से सम्मिलित किया जावे, इस सम्बन्ध में एक कार्ययोजना बनाई जावे।

5. सामाजिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण करने तथा विधि व विधि के अधिकारों पर निर्भरता कम कर व्यक्तियों को गरिमा से जीवन जीने व जीने देने के लिए जागरूकता अभियान व सामाजिक दायित्वों के प्रति आमजन को जागरूक व प्रशिक्षित किया जावे।

उपर्युक्त अनुशंषाओं के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि पालनार्थ मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष